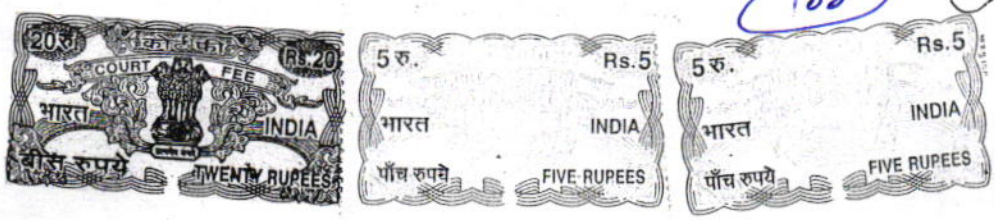

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

188

निग - 1402 - I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक — रामनाथ परते उम्र करीब 50 वर्ष पिता श्री झलमसिंह परते निवासी ग्राम केवलारी जिला सिवनी म0प्र0

विरूद्ध

गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक —

1- विष्णु कुशवाहा उम्र 33 वर्ष पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा निवासी 108/क ग्राम नारायणपुर पोस्ट तिलवारा घाट तहसील व जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक कमांक 36/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1402-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-5-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25-4-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक मनोज बरकड़े पिता श्री रामनाथ परते पुत्र श्री झलमसिंह परते द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कालादेही नं .बं. 515 प.ह.नं. 36/43 नया 50 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 132/1 रकबा 1.33 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री विष्णु कुशवाहा पुत्र श्री किशोरीलाल कुशवाहा को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त . तहसीलदार, बरगी को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पर बैंक का ऋण बकाया है, इस कारण उसे चुकाने हेतु शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया है प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में 3 माह आगे की तिथि नियत करदी है जो न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.360 हैक्टर भूमि ग्राम चंदेरी में में शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की 36/43 ग्राम कालादेही प.ह.नं. / रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि	

(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1402-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नं. 133/1 रकबा 1.33 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1402–एक / 16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । आवेदक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 04–5–16 को आदेश पारित कर आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति दी गई है और शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विकयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । उक्त अवधि दिनांक 4–09–16 को समाप्त हो रही है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तावित केता (अनावेदक कमांक–1) द्वारा धनराशि की व्यवस्था में कुछ समय लग रहा है इस कारण 3 माह का समय और दिया जाये । इस संबंध में उनके द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें 3 माह का समय विकयपत्र निष्पादित कराने हेतु न्यायहित में प्रदान किया जाता है । सदस्य	